अध्याय–III

राजस्व का उद्ग्रहण एवं संग्रहण

सारांश

राज्य सरकार द्वारा रायल्टी/विनियमन शुल्क/पलोथन आदि के रूप में राजस्व उद्ग्रहित और एकत्रित किया जाता है। राज्य सरकार को रायल्टी सहित देय कोई भी राशि, यदि निर्धारित समय के भीतर भुगतान नहीं की जाती है, तो राज्य सरकार पट्टाधारक से भू–राजस्व के बकाया के रूप में ऐसी देय राशि की वसूली कर सकती है।

विभाग को अपनी प्राप्तियों की निगरानी में सुधार की आवश्यकता है क्योंकि खदानों के पट्टा/परमिट धारकों और ईंट भट्ठा मालिकों से बकाया राजस्व नहीं/कम वसूल किया गया था। 20 पट्टाधारकों द्वारा जि०ख०फा०ट्र० का अंशदान जमा नहीं किया गया। ई–नीलामी के लिए अधिकृत कम्पनी एमएसटीसी ने सफल बोलीदाताओं द्वारा जमा की गई खनन प्राप्तियों से सेवा शुल्क काट लिया। विभाग ने अपने राजस्व को बढ़ा कर बताया क्योंकि प्रतिभूति की राशि पट्टाधारक द्वारा राजस्व मद में जमा की गई थी। संघ एवं राज्यों के लिये मुख्य और लघु शीर्षों की सूची में प्रावधान होने के बावजूद उप खनिजों से प्राप्त राजस्व प्राप्तियों को उचित लघु शीर्ष के अन्तर्गत जमा नहीं किया जा रहा था।

विभाग ने पट्टाधारकों द्वारा खनन योजना प्रस्तुत करने की तिथि का उचित अभिलेख नहीं बनाकर रखा। लेखापरीक्षा ने खनन योजना तैयार करने की तिथि को प्रस्तुत करने की तिथि माना और पाया कि 25 पट्टाधारकों ने खनन योजना विलम्ब से प्रस्तुत किया था एवं विभाग ने इन मामलों में जुर्माना नहीं लगाया था। संशोधित खनन योजना के बिना खनिज उत्खनन करने वाले 14 पट्टाधारकों से विभाग द्वारा खनिज मूल्य एवं जुर्माना भी नहीं वसूला गया।

कार्यदायी संस्थाओं में ठेकेदारों द्वारा उपयोग किए जाने वाले ट्रान्जिट पास में अनियमितताएं देखी गईं, जैसे कि अन्य गंतव्य के लिए निर्गत किए गए, तीसरी प्रति/प्रतिरूप प्रति संलग्न, कार्य दिये जाने से पूर्व और कार्य पूर्ण होने के बाद की निर्गत तिथि थी।

3.1 परिचय

उ०प्र०उ०ख०प० नियमावली, 1963 (समय–समय पर संशोधित) के नियम 28(2)(4) में प्रावधान है कि निविदा/नीलामी की राशि की किश्तें चतुर्थ अनुसूची के अनुसार त्रैमासिक तय की जाएंगी। उ०प्र०उ०ख०प० नियमावली, 1963 के नियम 58(1) में उपबन्धित है कि राज्य सरकार या उसके द्वारा अधिकृत कोई भी अधिकारी पट्टाधारक को नोटिस प्राप्त होने के तीस दिनों के अन्दर पट्टे के अन्तर्गत राज्य सरकार को देय रायल्टी सहित कोई भी धनराशि अथवा अनिवार्य किराये का भुगतान करने के लिए नोटिस दे सकता है और यदि भुगतान के लिए निर्धारित तिथि के बाद पन्द्रह दिनों के अन्दर इसका भुगतान नहीं किया जाता है, तो इसके बाद खनन पट्टा समाप्त किया जा सकता है। यह अधिकार राज्य सरकार के उस अधिकार के अतिरिक्त होगा, जिसके अन्तर्गत वह पट्टाधारक से भू–राजस्व के बकाया के रूप में ऐसी राशि वसूल कर सकता है।

अग्रेतर, उत्तर प्रदेश जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट नियमावली, 2017 के नियम 10(2) के अनुसार उप खनिज के मामले में प्रत्येक खनिज परिहार/परमिट धारक को रायल्टी के अतिरिक्त वह राशि जो रायल्टी के 10 प्रतिशत के बराबर है या जो राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर निर्धारित की जा सकती है, जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट (जि०ख०फा०ट्र०) को भुगतान करना होगा जहाँ खनन कार्य किया जाता है।

लेखापरीक्षा ने 18 जिला खान कार्यालयों और डीजीएम के अभिलेखों की जाँच किया। खनन संक्रियाओं से राजस्व के उद्ग्रहण और संग्रहण के सम्बन्ध में लेखापरीक्षा द्वारा देखी गई अनियमितताओं की चर्चा आगामी प्रस्तरों में की गई है:

लेखापरीक्षा परिणाम

3.2 रायल्टी और जि०ख०फा०ट्र० अंशदान

खनन पट्टों के लिए रायल्टी और जि०ख०फा०ट्र० में अंशदान को पट्टाधारक द्वारा त्रैमासिक/मासिक आधार पर सरकार को भुगतान करना आवश्यक है और यदि ऐसा नहीं किया जाता है, तो पट्टा निरस्त किया जा सकता है और नियमों के अनुसार रायल्टी को भू–राजस्व के बकाया के रूप में संगृहीत किया जा सकता है।

3.2.1 रायल्टी की वसूली न किया जाना

लेखापरीक्षा ने 16 जि0खा0का0 के 217 पट्टा पत्रावलियों की नमूना जाँच किया और चार जि0खा0का0[29] में देखा कि 10 पट्टाधारकों ने पट्टा विलेख के भुगतान अनुसूची के अनुसार जनवरी 2019 और मार्च 2022 के बीच देय ₹ 55.04 करोड़ की रायल्टी के विरूद्ध ₹ 7.43 करोड़ की राशि जमा किया। विभाग ₹ 47.61 करोड़ की रायल्टी वसूल करने में विफल रहा, जैसा कि **परिशिष्ट–V** में दर्शाया गया है।

3.2.2 जि०ख०फा०ट्र० में अंशदान संग्रह न किया जाना

लेखापरीक्षा ने 16 जि0खा0का0 के 217 पट्टा पत्रावलियों की नमूना जाँच किया और देखा कि पाँच जि0खा0का0[30] में अप्रैल 2017 से मार्च 2022 के बीच 20 पट्टाधारकों द्वारा रायल्टी के 10 प्रतिशत की दर से जि०ख०फा०ट्र० में ₹ 13.71 करोड़ का योगदान जमा करना आवश्यक था, लेकिन उन्होंने जि०ख०फा०ट्र० में अंशदान नहीं जमा किया। सम्बन्धित जि0खा0अ0 ने भी इन बकाया राशि की वसूली के लिए कोई कार्यवाही शुरू नहीं की। इसके परिणामस्वरूप जि०ख०फा०ट्र० में अंशदान की वसूली नहीं हो पाई जैसा कि **परिशिष्ट–VI** में दर्शाया गया है।

समापन गोष्ठी में शासन ने पट्टाधारकों से देय राशि वसूल करने का आश्वासन दिया। लेखापरीक्षा का मत है कि माइन मित्रा पोर्टल में ही ऐसा नियन्त्रण होना चाहिए जिससे समय पर राजस्व संग्रहण की निगरानी की जा सके।

3.3 ईंट भट्ठों से राजस्व के उद्ग्रहण एवं संग्रहण में अनियमितताएं

सरकार द्वारा समय–समय पर घोषित ईंट भट्ठों के लिए एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएसएस) में परमिट आवेदन शुल्क के साथ निर्धारित दरों पर रायल्टी की समेकित राशि के भुगतान का प्रावधान है। इसमें सरकार को देय रायल्टी, शुल्क या अन्य राशि के विलंबित भुगतान पर 18 प्रतिशत की दर से ब्याज प्रभारित करने का भी प्रावधान है। वर्ष 2017–18 के ओटीएसएस में ईंट निर्माण में उपयोग होने वाली पलोथन[31] मिट्टी पर अतिरिक्त 10 प्रतिशत रायल्टी अधिरोपित की जानी थी। उ०प्र०जि०ख०फा०ट्र० नियमावली,

[29] फतेहपुर, हमीरपुर, प्रयागराज और सोनभद्र।
[30] चित्रकूट, फ़तेहपुर, हमीरपुर, प्रयागराज और सोनभद्र।
[31] रेत भरी मिट्टी।

2017 में उपबन्धित है कि प्रत्येक खनिज परमिट धारक को रायल्टी के अलावा, उस जिले के ट्रस्ट को रायल्टी के 10 प्रतिशत के बराबर राशि का भुगतान करना होगा जिसमें खनन कार्य किया जाता है। उ०प्र०उ०ख०प० नियमावली, 1963 (यथा संशोधित)[32] के प्रावधान के अनुसार, ईंट भट्ठा वर्ष[33] 2018–19 और उसके बाद के लिए रायल्टी के स्थान पर ईंट भट्ठा पर विनियमन शुल्क आरोपित किया गया है।

अग्रेतर, 23 नवम्बर 2017 के सरकारी आदेश के अनुसार, संचालित ईंट भट्ठों की वास्तविक संख्या का पता लगाने और तदनुसार कार्यवाही शुरू करने के लिए जि0खा0अ0 को व्यापार कर/जीएसटी कार्यालय और जिला पंचायत से प्रामाणिक जानकारी प्राप्त करना आवश्यक है। 16 जनपदों के 1,483 ईंट भट्ठों की नमूना जाँच में लेखापरीक्षा द्वारा देखी गई अनियमितताओं का विवरण नीचे दिया गया है:

3.3.1 ईंट भट्ठा मालिकों से परमिट आवेदन शुल्क, रायल्टी और पालोथन की वसूली न किया जाना

लेखापरीक्षा ने 16 जि0खा0का0 के 1,483 ईंट भट्ठा पंजिका और पत्रावलियों/चालान की नमूना जाँच किया और देखा कि तीन जि0खा0का0[34] में 31 ईंट भट्ठा मालिकों ने ईंट भट्ठा वर्ष 2017–18 के लिए रायल्टी, पलोथन, परमिट आवेदन शुल्क और जि०ख०फा०ट्र० में योगदान का भुगतान नहीं किया। सम्बन्धित जि0खा0अ0 ने न तो उनके व्यवसाय को रोकने के लिए कोई कार्यवाही शुरू की और न ही ₹ 45.60 लाख की रायल्टी, ₹ 4.56 लाख के पलोथन, ₹ 0.62 लाख के परमिट आवेदन शुल्क और ₹ 4.56 लाख के जि०ख०फा०ट्र० में अंशदान सहित ₹ 55.34 लाख की बकाया राशि की वसूली के लिए कोई प्रयास किया जैसा कि **परिशिष्ट–VII** में दर्शाया गया है।

3.3.2 ईंट भट्ठा मालिकों से पलोथन की वसूली न किया जाना

लेखापरीक्षा ने 16 जि0खा0का0 के 1,483 ईंट भट्ठा पंजिका और पत्रावलियों/चालान की नमूना जाँच किया और देखा कि सात जि0खा0का0[35] में 175 ईंट भट्ठा मालिकों ने ईंट भट्ठा वर्ष 2017–18 से 2019–20 के लिए भुगतान की गई ₹ 2.36 करोड़ की रायल्टी के सापेक्ष ₹ 23.56 लाख का पलोथन जमा नहीं किया, जैसा कि **परिशिष्ट–VIII** में दर्शाया गया है।

3.3.3 ईंट भट्ठा मालिकों से जि०ख०फा०ट्र० में अंशदान की वसूली न किया जाना

लेखापरीक्षा ने 16 जि0खा0का0 के 1,483 ईंट भट्ठा पंजिका और पत्रावलियों/चालान की नमूना जाँच किया और देखा कि 10 जि0खा0का0[36] में 541 ईंट भट्ठा मालिकों ने 2017–18 की अवधि के लिए जि०ख०फा०ट्र० में भुगतान की गई रायल्टी ₹ 7.14 करोड़ के सापेक्ष ₹ 71.42 लाख रुपये का अंशदान नहीं किया। संबंधित जि0खा0अ0 ने ईंट भट्ठा मालिकों से जि०ख०फा०ट्र० में अंशदान वसूलने के लिए कोई कार्यवाही शुरू नहीं की। इसके परिणामस्वरूप सरकार को राजस्व की प्राप्ति नहीं हुई जैसा कि **परिशिष्ट–IX** में दर्शाया गया है।

---

[32] 46वाँ संशोधन दिनाँक 06.03.2019।

[33] अक्टूबर से सितम्बर।

[34] हमीरपुर, कानपुर देहात और सहारनपुर।

[35] फ़तेहपुर, जीबी नगर, जेपी नगर, हमीरपुर, सहारनपुर, शामली और सिद्धार्थनगर।

[36] फ़तेहपुर, जीबी नगर, हमीरपुर, जेपी नगर, कानपुर देहात, कौशाम्बी, प्रयागराज, सहारनपुर, संभल और सिद्धार्थनगर।

3.3.4 ईंट भट्ठा मालिकों से विनियमन शुल्क, परमिट आवेदन शुल्क और पलोथन की वसूली न किया जाना

लेखापरीक्षा ने 16 जि0खा0का0 के 1,483 ईंट भट्ठा पंजिका और पत्रावलियों/चालान की नमूना जाँच किया और 11 जि0खा0का0[37] में देखा कि 477 ईंट भट्ठा मालिकों ने ईंट भट्ठा वर्ष 2018–19 से 2021–22 के लिए विनियमन शुल्क, पलोथन और आवेदन शुल्क का भुगतान नहीं किया है। सम्बन्धित जि0खा0अ0 ने न तो व्यवसाय को रोकने के लिए कोई कार्यवाही शुरू की और न ही ₹ 7.01 करोड़ की विनियमन फीस, ₹ 70.08 लाख के पलोथन और ₹ 9.54 लाख के आवेदन शुल्क सहित बकाया धनराशि ₹ 7.80 करोड़ की वसूली के लिए कोई प्रयास किया, जैसा कि **परिशिष्ट–X** में वर्णित है।

अग्रेतर, केवल पाँच जि0खा0अ0[38] जीएसटी कार्यालय से प्राप्त ईंट भट्ठों की सूची लेखापरीक्षा को उपलब्ध करा सके। अन्य जि0खा0अ0 ने जीएसटी कार्यालय से सूची नहीं प्राप्त किया। यह 23 नवम्बर 2017 के सरकारी आदेश का उल्लंघन था, और विभाग आवेदन शुल्क, रायल्टी/विनियमन शुल्क, पलोथन और डी0एम0एफ0 की वसूली के लिए सम्बन्धित जिले में संचालित ईंट भट्ठों की वास्तविक संख्या का पता लगाने के लिए वास्तविक समय के प्रामाणिक डाटा का लाभ नहीं उठा सका।

समापन गोष्ठी में शासन ने इन मामलों की जाँच करने और ईंट भट्ठा मालिकों से बकाया राशि वसूलने का आश्वासन दिया। लेखापरीक्षा का मानना है कि इन मामलों में भी माइन मित्रा पोर्टल में ही ऐसा नियंत्रण प्रावधान होना चाहिए जिससे समय पर राजस्व संग्रहण की निगरानी की जा सके।

3.4 वित्तीय नियमों के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए खनिज प्राप्तियों से एमएसटीसी सेवा शुल्क की कटौती

उत्तर प्रदेश सरकार की वित्तीय पुस्तिका[39] में प्रावधान है कि कोषागार नियम के अन्तर्गत, संविधान के अनुच्छेद 266, 267, एवं 284 में परिभाषित सभी धन, सरकारी कर्मचारियों द्वारा उनकी आधिकारिक क्षमता में प्राप्त या दिए गए, का बिना किसी देरी के राजकोष में पूरा भुगतान किया जाएगा या बैंक में और सरकारी लेखे में शामिल किया जाएगा। कोषागार नियम 7(2) (पैराग्राफ 21–ए) में दिए गए प्रावधानों को छोड़कर, उपरोक्त प्राप्त धन को विभागीय व्यय को पूरा करने के लिए विनियोजित नहीं किया जाएगा, न ही सरकारी लेखे से अलग रखा जाएगा।

लेखापरीक्षा ने 16 जि0खा0का0[40] और डीजीएम के अभिलेखों की जाँच की और देखा कि राज्य में खनिज ब्लाकों की ई–नीलामी आयोजित करने के लिए सेवाएं प्रदान करने के लिए एमएसटीसी लिमिटेड और उ0प्र0 सरकार के बीच 11 अगस्त 2017 को एक अनुबन्ध किया गया था। अनुबन्ध के अनुसार एमएसटीसी सेवा शुल्क बिलों की प्राप्ति के दिनांक से 30 दिनों के भीतर प्रत्येक खनन पट्टे की सफल नीलामी के लिए ₹ 30,000 (18 प्रतिशत जीएसटी को छोड़कर) के सेवा शुल्क का हकदार था।

उपरोक्त अनुबन्ध के चार महीने बाद उ0प्र0 सरकार ने 12 दिसम्बर 2017 को एमएसटीसी के साथ एक और अनुबन्ध किया और सेवा शुल्क के भुगतान के उपबन्ध को हटा दिया और यह उपबन्ध जोड़ दिया कि एमएसटीसी सेवा शुल्क को आवेदन शुल्क यदि आवश्यक हो तो ईएमडी से समायोजित करेगा और शेष राशि शासकीय खाते में जमा करायेगा।

---

[37] जीबी नगर, हमीरपुर, जेपी नगर, कानपुर देहात, कौशाम्बी, प्रयागराज, सहारनपुर, संभल, शामली, सिद्धार्थनगर और सोनभद्र।

[38] जी.बी. नगर, हमीरपुर, मुजफ्फरनगर, प्रयागराज और सोनभद्र।

[39] वित्तीय पुस्तिका खण्ड. 5 के भाग I का नियम 21।

[40] बागपत, बांदा, बुलन्दशहर, चित्रकूट, फतेहपुर, जीबी नगर, हमीरपुर, कानपुर देहात, कौशाम्बी, महोबा, प्रयागराज, सहारनपुर, संभल, शामली, सिद्धार्थनगर और सोनभद्र।

लेखापरीक्षा ने देखा कि राजस्व प्राप्ति से ऐसी कटौती के लिए एमएसटीसी लिमिटेड और उ0प्र0 सरकार के बीच निष्पादित अनुबन्धों के उपबन्ध भी उद्धृत नियमों की अवहेलना कर रहे थे।

एमएसटीसी ने शासकीय प्राप्ति (मुख्य शीर्ष "0853–अलौह खनन और धातुकर्म उद्योग" के अन्तर्गत जमा की जाने वाली) से ₹ 70.80[41] लाख का अपना सेवा शुल्क और जीएसटी काट लिया, जिसका अलग से दावा किया जाना चाहिये था और विभागीय व्यय से समायोजित किया जाना चाहिये था। विवरण **परिशिष्ट–XI** में दर्शाया गया है।

शासन ने समापन गोष्ठी में बताया कि यह पुस्तक समायोजन का मामला है और इससे राजस्व की कोई क्षति नहीं हुई है। लेखापरीक्षा का मानना है कि राजस्व प्राप्तियों से सेवा शुल्क नहीं काटा जाना चाहिये क्योंकि इससे राजस्व प्राप्तियों के आँकड़ों का कम चित्रण होता है।

3.5 प्रतिभूति जमा लोक लेखे के बजाय समेकित निधि में जमा किया जाना

उ०प्र०उ०ख०प० नियमावली, 1963 (समय–समय पर संशोधित) के नियम 13 के अनुसार, पट्टे के नियमों और शर्तों के उचित अनुपालन के लिए वार्षिक पट्टा धनराशि के 25 प्रतिशत के बराबर राशि प्रतिभूति के रूप में जमा की जाएगी। उपरोक्त नियमावली के नियम 50 (उ०प्र०उ०ख०प० नियमावली, 2021 के नियम 49) के अनुसार, खनन पट्टे की समाप्ति के बाद राज्य सरकार के पास जमा की गई प्रतिभूति की राशि, जिसका उपयोग इन नियमों में उल्लिखित किसी भी उद्देश्य के लिए किया जाना आवश्यक नहीं है, पट्टे की समाप्ति की तिथि से छह महीने की अवधि के अन्दर पट्टाधारक को वापस कर दिया जाएगा।

उ0प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर 195 में उपबन्धित है कि सरकार की सामान्य प्राप्तियों और व्यय के अलावा, जो समेकित निधि से सम्बन्धित हैं, कुछ अन्य लेनदेन सरकारी खातों में आते हैं, जिनके सम्बन्ध में सरकार एक बैंकर के रूप में अधिक कार्य करती है, उदाहरण के लिए, भविष्य निधि से सम्बन्धित लेनदेन, अन्य जमा जैसे ठेकेदारों द्वारा की गई प्रतिभूति जमा या अदालती जमा या किसी सरकारी संस्था के माध्यम से परियोजनाओं के निष्पादन के लिए स्थानीय निकाय द्वारा जमा आदि। इस प्रकार प्राप्त धन को लोक लेखे में रखा जाता है और सम्बन्धित संवितरण भी उसी से किया जाता है। लोक लेखे की धनराशि सरकार का राजस्व नहीं होती है और इसे जमा करने वाले व्यक्तियों और प्राधिकारियों को कभी न कभी वापस भुगतान करना पड़ता है।

लेखापरीक्षा ने 16 जि0खा0का0[42] के 217 पट्टा पत्रावलियों की नमूना जाँच किया और देखा कि 200 पट्टाधारकों द्वारा जमा की गई प्रतिभूति राशि "0853 अलौह खनन और धातुकर्म उद्योग" खाते के मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत समेकित निधि में जमा की गई थी। हालाँकि, प्रतिभूति जमा ऊपर उल्लिखित प्रावधानों के अनुरूप सार्वजनिक खाते में जमा किया जाना चाहिए था। विभाग ने बजट नियमावली का उल्लंघन करते हुए ₹ 315.73 करोड़ की प्रतिभूति की धनराशि सार्वजनिक खाते के बजाय राजस्व शीर्ष खाते में जमा कर दी। राजस्व मद में प्रतिभूति की धनराशि जमा होने के कारण विभाग द्वारा राजस्व को बढ़ाकर बताया गया। विवरण **परिशिष्ट–XII** में दर्शाया गया है।

विभाग ने अपने उत्तर (जुलाई 2023) में कहा कि खनन पट्टे की अवधि पूरी होने पर, शेष प्रतिभूति की राशि या तो पट्टे की अन्तिम किश्त के रूप में समायोजित की जाती है या पट्टाधारक को वापस कर दी जाती है। यदि प्रतिभूति की राशि 8443 के शीर्ष में

---

[41] नमूना जाँच किये गये 16 जि0ख0का0 में पट्टों की संख्या (₹ 30,000 + ₹ 30,000 पर 18 प्रतिशत जी0एस0टी0) अर्थात् 200x ₹ 35,400।

[42] बागपत, बांदा, बुलन्दशहर चित्रकूट, फ़तेहपुर, जी.बी.नगर, हमीरपुर, कानपुर देहात, कौशाम्बी, महोबा, प्रयागराज, सहारनपुर, संभल, शामली, सिद्धार्थनगर एवं सोनभद्र।

जमा की गई, तो नियमों के उल्लंघन या पट्टा विलेख की शर्तों के अनुपालन के मामले में प्रतिभूति से कटौती करना संभव नहीं होगा।

उत्तर तथ्यात्मक रूप से गलत है क्योंकि नियमों के उल्लंघन या अनुपालन न करने की स्थिति में विभाग प्रतिभूति राशि जब्त कर सकता है। इसके अलावा, यह बजट मैनुअल के प्रावधानों का उल्लंघन है और खनन राजस्व का बढ़ाकर वर्णन है।

3.6 मुख्य एवं उप खनिजों से प्राप्तियों का पृथक–पृथक लेखांकन न किया जाना

खनिज प्राप्तियाँ मुख्य शीर्ष "0853–अलौह खनन एवं धातुकर्म उद्योग" के अन्तर्गत जमा की जाती हैं। सुधार पर्ची संख्या 965 दिनाँक 09 जुलाई 2021 के माध्यम से, लेखा महानियंत्रक के कार्यालय ने मौजूदा लघु शीर्ष "102–खनिज रियायत शुल्क, किराया और रायल्टी" का नाम बदलकर लघु शीर्ष "102–मुख्य खनिज रियायत शुल्क, किराया और रायल्टी" कर दिया और संघ और राज्यों के लिए मुख्य और लघु शीर्षों की सूची में निम्नलिखित नए लघु शीर्ष सम्मिलित किए गए:

लघु शीर्ष "107–उप खनिज रियायत शुल्क, किराया और रायल्टी"

लेखापरीक्षा ने देखा कि उप खनिजों से प्राप्त राजस्व प्राप्तियों को लघु शीर्ष "107–उप खनिज रियायत शुल्क, किराया और रायल्टी" के बजाय लघु शीर्ष "102–खनिज रियायत शुल्क, किराया और रायल्टी" के अन्तर्गत जमा किया जा रहा था। डीजीएम ने मुख्य और लघु खनिजों से प्राप्तियों के अलग–अलग लेखांकन के लिए जि0खा0अ0 को कोई निर्देश जारी नहीं किया।

समापन गोष्ठी में शासन ने वित्त विभाग के आदेश के अनुसार कोषागार पोर्टल पर एक नए लघु शीर्ष का प्रावधान करने पर सहमति व्यक्त की।

3.7 रायल्टी/विनियमन शुल्क का जमा किया जाना

उ०प्र०उ०ख०प० नियमावली[43], 1963 में उपबन्धित है कि राज्य सरकार को किसी भी किराए, रायल्टी, सीमांकन शुल्क और किसी भी अन्य देय राशि को जमा करने में देरी के लिए 30 दिन की नोटिस अवधि समाप्त होने के बाद 24 प्रतिशत प्रति वर्ष (मई 2017 से संशोधित करके 18 प्रतिशत) की दर से ब्याज आरोपित किया जाएगा।

3.7.1 रायल्टी विलम्ब से जमा करने पर ब्याज कम/न आरोपित किया जाना

लेखापरीक्षा ने 16 जि0खा0का0 में 217 पट्टों की पत्रावलियों की नमूना जाँच किया और आठ जि0खा0का0[44] में देखा कि 35 पट्टाधारकों ने 2018–19 से 2021–22 की अवधि के लिए 6 दिन से 452 दिनों की देरी के साथ ₹ 127.53 करोड़ की रायल्टी जमा की। यद्यपि भुगतान में देरी का विवरण अभिलेखों पर उपलब्ध था, विभाग ने ₹ 7.38 करोड़ के विरुद्ध केवल ₹ 5.36 लाख का ब्याज आरोपित किया। परिणामस्वरूप, विभाग द्वारा ₹ 7.32 करोड़ का कम ब्याज आरोपित किया गया जैसा कि **परिशिष्ट–XIII** में दर्शाया गया है।

3.7.2 विनियमन शुल्क विलम्ब से जमा करने पर ब्याज कम/न आरोपित किया जाना

लेखापरीक्षा ने 16 जि0खा0का0 में 1,483 ईंट भट्ठों के अभिलेखों की नमूना जाँच की और नौ जि0खा0का0[45] में देखा कि 171 ईंट भट्ठा मालिकों ने 2017–18 से 2021–22

---

[43] नियम 58(2)।

[44] बुलन्दशहर, चित्रकूट, फतेहपुर, हमीरपुर, कौशाम्बी, महोबा, प्रयागराज और सोनभद्र।

[45] फ़तेहपुर, जीबी नगर, जेपी नगर, कानपुर देहात, कौशाम्बी, प्रयागराज, सहारनपुर, संभल और सिद्धार्थनगर।

की अवधि के लिए 184 दिनों से 1,854 दिनों[46] की देरी के साथ ₹ 2.51 करोड़ की रायल्टी/विनियमन शुल्क और पलोथन जमा किया। हालाँकि, भुगतान में देरी का विवरण अभिलेखों में उपलब्ध था, विभाग ने ₹ 56.02 लाख के देय ब्याज के सापेक्ष विलंबित जमा पर ब्याज के रूप में केवल ₹ 8.97 लाख वसूल किया। परिणामस्वरूप, विभाग द्वारा ₹ 47.05 लाख का कम ब्याज आरोपित किया गया जैसा कि **परिशिष्ट–XIV** में दर्शाया गया है।

समापन गोष्ठी में शासन ने सम्बन्धित बकाएदारों से देय ब्याज की धनराशि जमा कराने का आश्वासन दिया।

3.8 खनन योजना विलम्ब से प्रस्तुत करने पर शास्ति आरोपित न किया जाना

उ०प्र०उ०ख०प० नियमावली, 1963[47] (तैंतालीसवां संशोधन) के नियम 59 (1) के प्रावधानों के अन्तर्गत वह प्रस्तावक जिसने एलओआई प्राप्त कर लिया है, लेकिन नियम 34 में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार एक माह की निर्धारित अवधि के भीतर खनन योजना प्रस्तुत नहीं की है, एक लाख रुपये की शास्ति का दायी होगा। शास्ति की धनराशि जमा करने में विफलता की स्थिति में जिलाधिकारी द्वारा वह धनराशि सम्बन्धित पट्टे के विरूद्ध जमा की गयी प्रतिभूति राशि से काट ली जायेगी। अगस्त 2019 से शास्ति की राशि संशोधित करके[48] ₹ 10,000 प्रतिदिन कर दी गई है।

लेखापरीक्षा ने देखा कि यद्यपि राज्य सरकार ने शास्ति की राशि संशोधित कर दी और इसे देरी के सन्दर्भ में दिनों की संख्या से जोड़ दिया परन्तु निदेशालय ने कोई अभिलेख नहीं बनाया जिससे खनन योजना प्रस्तुत करने में विलम्ब स्थापित किया जा सके। इसके अलावा, लेखापरीक्षा ने 16 जि0खा0का0 के 217 पट्टा पत्रावलियों की नमूना जाँच किया और देखा कि खनन योजना की प्रस्तुति की तिथि खनन योजना में उल्लिखित नहीं थी और जि0खा0अ0 के पास भी उपलब्ध नहीं थी। हालाँकि, कुछ खनन योजनाओं में, इन खनन योजनाओं को तैयार करने वाले मान्यता प्राप्त अर्ह व्यक्ति द्वारा तैयार करने की तिथि का उल्लेख किया गया था। लेखापरीक्षा ने खनन योजना तैयार करने की तिथि को प्रस्तुत करने की तिथि माना और देरी की गणना की। लेखापरीक्षा ने पाँच जि0खा0का0[49] में पाया कि 25 मामलों में खनन योजनाएं 4 से 273 दिन से अधिक की देरी से डीजीएम को पट्टाधारकों द्वारा प्रस्तुत की गई थीं। विभाग ने ₹ 1.08 करोड़ की शास्ति लगाए बिना खनन योजना को अनुमोदित किया जैसा कि **परिशिष्ट–XV** में बताया गया है।

समापन गोष्ठी में शासन ने कहा कि सभी जिलाधिकारियों को निर्देश जारी कर दिया गया है कि खनन योजना प्रस्तुत करने में देरी के लिए प्रस्तावकों से नियमानुसार शास्ति जमा कराया जाय।

3.9 खनन योजना के बिना खनिजों का उत्खनन करने वाले पट्टाधारकों पर शास्ति आरोपित न किया जाना

उ०प्र०उ०ख०प० नियमावली, 1963 (समय–समय पर संशोधित) के अन्तर्गत सभी उप खनिजों के सम्बन्ध में खनन संक्रियाएं भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग के निदेशक द्वारा विधिवत अनुमोदित खनन योजना के अनुसार की जाएंगी, जिसमें वार्षिक विकास योजनाओं, प्रगतिशील खदान बंद करने की योजना सहित खनन किए गए क्षेत्रों के पुनर्ग्रहण और पुनर्वास के स्वरूप का विवरण दिया जाएगा। एक बार अनुमोदन मिलने के

[46] एक वर्ष तक की देरी, मामले 71; एक से दो साल के बीच की देरी, मामले 76; दो से तीन साल के बीच की देरी, मामले 15; और तीन साल से अधिक की देरी, मामले 10।

[47] अधिसूचना संख्या 1956/86–2017–57(सामान्य)–2017 दिनाँक 14 अगस्त 2017।

[48] अधिसूचना संख्या देखें. 1868/86–2019–57–2017 दिनाँक 13 अगस्त, 2019।

[49] चित्रकूट, जीबी नगर, हमीरपुर, महोबा और सहारनपुर।

बाद खनन योजना पट्टे की पूरी अवधि या पाँच साल, जो भी पहले हो, के लिए वैध होगी। यदि पट्टा अवधि पाँच वर्ष से अधिक है तो उस स्थिति में पट्टाधारक निदेशक के समक्ष खनन योजना पुनः प्रस्तुत करेगा।

खा० एवं ख० (वि० और वि०) अधिनियम की धारा 21(5) के अन्तर्गत जब भी कोई व्यक्ति कानूनी अधिकार के बिना किसी भूमि से कोई खनिज उठाता है, तो राज्य सरकार ऐसे व्यक्ति से उठाए गए खनिज की वसूली कर सकती है या जहाँ ऐसे खनिज का निस्तारण पहले ही किया जा चुका है, उसका मूल्य रायल्टी के साथ वसूल सकती है। इसके अलावा उ०प्र०उ०ख०प० नियमावली, 1963 के नियम 21 (2) के अन्तर्गत कुल रायल्टी खनिजों के खनिमुख मूल्य के 20 प्रतिशत से अधिक की दर पर तय नहीं की जाती है। इस प्रकार, खनिज मूल्य लागू रायल्टी का पाँच गुना माना जाता है।

लेखापरीक्षा ने 16 जि0खा0का0 के 217 पट्टों के अभिलेखों की नमूना जाँच किया और तीन जि0खा0का0[50] में पाया कि 14 पट्टाधारकों ने अप्रैल 2017 से मार्च 2022 के बीच बिना नवीनीकरण और बिना संशोधित खनन योजना के 8.38 लाख घन मीटर[51] पत्थर गिट्टी/बोल्डर/सिलिका बालू का उत्खनन किया और ₹ 12.58 करोड़ की रायल्टी का भुगतान किया जो उ०प्र०उ०ख०प० नियमावली,1963 के अनुरूप नहीं था। खनन योजना के नवीनीकरण के बिना पट्टाधारकों द्वारा उत्पादित/परिवहित किया गया खनिज अवैध था और इसलिए, पट्टाधारकों को खनिज मूल्य और शास्ति का भुगतान करना आवश्यक था। सम्बन्धित जि0खा0अ0 ने न तो खनन गतिविधियाँ रोकी और न ही एमएम–11 प्रपत्र जारी करना बंद किया। वे खनिज का मूल्य ₹ 62.90 करोड़ वसूल करने में भी विफल रहे। इसके परिणामस्वरूप सरकार को राजस्व की प्राप्ति नहीं हुई, जैसा कि **परिशिष्ट–XVI** में दर्शाया गया है।

खनन योजनाएँ तकनीकी विशेषज्ञों द्वारा वैज्ञानिक ढंग से इस प्रकार तैयार की जाती हैं ताकि क्षेत्र के विकास में मदद मिल सके। यदि खनन गतिविधियाँ अनुमोदित खनन योजना के बिना की जाती हैं, तो विभाग का इस पर कोई नियन्त्रण नहीं होगा और पट्टाधारक अवैज्ञानिक तरीके से अधिक खनिज निकाल सकता है, जो खनिज संसाधनों, वनों की सुरक्षा, जलधाराओं पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा और वायु एवं जल प्रदूषण को बढ़ावा देगा। इसके अलावा, विभाग एमएम–11 प्रपत्रों के सृजन को खनन योजना के साथ जोड़ने में विफल रहा क्योंकि एमएम–11 प्रपत्र खनन योजना की समाप्ति के पश्चात् जारी किए गए थे।

समापन गोष्ठी में शासन ने लेखापरीक्षा प्रेक्षण को स्वीकार किया और कहा कि माइन मित्रा पोर्टल में उचित प्रावधान किया जाएगा।

3.10 कार्यदायी संस्थाओं से सम्बन्धित अनियमितताएँ

उ०प्र०उ०ख०प० नियमावली, 1963 और उत्तर प्रदेश खनिज (अवैध खनन, परिवहन और भण्डारण का निवारण) नियमावली, 2002 और 2018 में उपबन्धित है कि कोई भी व्यक्ति वैध ट्रान्जिट पास (प्रपत्र एमएम–11[52]/प्रपत्र सी[53]) के बिना किसी भी खनिज का परिवहन नहीं करेगा। खा० एवं ख० (वि० और वि०) अधिनियम[54] में उपबन्धित है कि कानूनी अधिकार के बिना खनिज उठाने पर रायल्टी के साथ खनिजों का मूल्य भी वसूला

---

50 चित्रकूट, प्रयागराज और सोनभद्र।

51 पट्टाधारक को जारी एमएम–11 प्रपत्र से देखी गई खनिज की मात्रा।

52 उप खनिजों के परिवहन के लिए खनन पट्टा या क्रशर प्लान्ट के धारक द्वारा जारी किया गया ट्रान्जिट पास (रवन्ना)। इसमें पट्टाधारकों के नाम और पते, खनिजों की प्रकृति और मात्रा और वाहन संख्या शामिल है जिसके माध्यम से खनिजों का परिवहन किया जाता है।

53 खनिजों के भण्डारण के लिए लाइसेंस धारक भण्डार से खनिजों के वैध परिवहन के लिए प्रपत्र–सी में ट्रान्जिट पास जारी करेगा।

54 खा० एवं ख० (वि० और वि०) अधिनियम की धारा 21(5)।

जा सकता है। खा० एवं ख० (वि० और वि०) अधिनियम की धारा 4 (1–ए) और धारा 21 (1 से 5) के साथ पठित उ०प्र०उ०ख०प० नियमावली, 1963 का नियम 70(1) उपबन्धित करता है कि पट्टा या परमिट धारक या इसके लिए उसके द्वारा अधिकृत कोई भी व्यक्ति किसी भी वाहन, मवेशी या परिवहन के किसी भी साधन से खनिज परिवहन करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को प्रपत्र एमएम–11 में ट्रान्जिट पास निर्गत करेगा।

नियम 70(2) में प्रावधान है कि कोई भी व्यक्ति उप नियम (1) के अन्तर्गत जारी एमएम–11 के बिना राज्य में किसी भी खनिज का परिवहन नहीं करेगा। इसके अलावा, नियम 70(6) में प्रावधान है कि जो कोई भी व्यक्ति इस नियम के प्रावधानों का उल्लंघन करता है, अगर दोषी पाया जाता है, तो उसे छह महीने तक की कैद या 25,000 रुपये का जुर्माना हो सकता है। पुनः सरकार ने 15 अक्टूबर 2015 के अपने आदेश में दोहराया कि यदि ठेकेदार प्रपत्र एमएम–11 में अपेक्षित रायल्टी रसीद प्रस्तुत नहीं करते हैं तो रायल्टी के अलावा खनिज का मूल्य (आमतौर पर रायल्टी का पाँच गुना) ठेकेदार के बिल से काटकर राजकोष में जमा कर दिया जाएगा (राज्य सरकार द्वारा रायल्टी की दर 19 जनवरी 2016 से संशोधित की गई थी)।

उत्तर प्रदेश सरकार के आदेश दिनाँक 5 अक्टूबर[55] 2006 में कहा गया है कि सार्वजनिक कार्यों को निष्पादित करने वाले सम्बन्धित विभागों को देय रायल्टी के भुगतान के बाद ही ठेकेदारों को भुगतान सुनिश्चित करना चाहिए और यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो सम्बन्धित अधिकारी की जिम्मेदारी तय की जाएगी। सरकार ने अपने आदेश दिनाँक 6 जून 2020 द्वारा निर्देश दिया कि ठेकेदारों द्वारा कार्यदायी संस्थाओं में जमा किए गए ई–ट्रान्जिट पास को सम्बन्धित जिले के जि0खा0अ0 द्वारा सत्यापित किया जाएगा।

इस प्रकार, खनिजों (जैसे बालू, धातु, पत्थर, आदि) का उपयोग करने वाले किसी भी ठेकेदार को उत्खनित किये गए खनिज के लिए रायल्टी के भुगतान के प्रमाण के रूप में ट्रान्जिट पास (प्रपत्र एमएम–11/प्रपत्र–सी) जमा करना आवश्यक है। प्रासंगिक प्रपत्र जमा न करने की स्थिति में, कार्यदायी संस्थाओं के सम्बन्धित अधिकारियों को ठेकेदार के बिलों से रायल्टी और खनिज मूल्य की कटौती करने और उसे सरकारी खाते में जमा करने के लिए उत्तरदायी बनाया गया है।

3.10.1 ट्रान्जिट पास के बिना निष्पादित कार्यों के लिए ठेकेदारों से खनिज मूल्य की वसूली न किया जाना

लेखापरीक्षा ने 18 जि0खा0का0 के अभिलेखों की नमूना जाँच किया और पाँच जि0खा0का0[56] में देखा कि 156 मामलों में, 12 कार्यदायी संस्थाओं के ठेकेदारों ने सिविल कार्यों में उपयोग किए गए खनिजों के बिलों के साथ आवश्यक एमएम–11 प्रपत्र जमा नहीं किए। कार्यदायी संस्थाओं ने अप्रैल 2017 और मार्च 2022 के मध्य ठेकेदारों के बिलों से ₹ 4.48 करोड़ की रायल्टी काट ली और उसे राजकोष में जमा कर दिया। हालाँकि, कार्यदायी संस्थाओं ने ठेकेदारों से खनिज मूल्य और शास्ति वसूल नहीं किया जबकि ठेकेदारों द्वारा ट्रान्जिट पास प्रस्तुत नहीं किया गया था। कार्यदायी संस्थाओं द्वारा रायल्टी की कटौती की जानकारी होने के बावजूद, संबंधित जि0खा0अ0 ने ठेकेदारों से खनिज मूल्य की वसूली सुनिश्चित करने के लिए उनके साथ मुद्दा नहीं उठाया और 15 अक्टूबर, 2015 के सरकारी आदेश, जिसमें ठेकेदार के बिलों से खनिज मूल्य की कटौती का प्रावधान था, के अनुसार खनिज मूल्य ₹ 22.40 करोड़ रुपये और जुर्माना ₹ 39.00 लाख की वसूली सुनिश्चित करने के लिए कोई कार्यवाही शुरू करने में विफल रहे जैसा कि **परिशिष्ट–XVII** में दर्शाया गया है।

शासन ने समापन गोष्ठी में इन विसंगतियों पर गौर करने का आश्वासन दिया।

---

[55] क्रमांक 4951(1)–77–5–2006–506/05 दिनाँक 05 अक्टूबर 2006।

[56] बांदा, जीबी नगर, प्रयागराज, सहारनपुर और सिद्धार्थनगर।

3.10.2 कार्यदायी संस्थाओं को नकली/अनियमित एमएम–11 प्रपत्र जमा करने के मामलों में रायल्टी और खनिज मूल्य की वसूली न किया जाना

उ०प्र०उ०ख०प० नियमावली, 1963 के अनुसार एमएम–11 प्रपत्र तीन प्रतियों में मुद्रित होना आवश्यक है– (i) कार्यालय प्रति (पट्टा धारक की), (ii) पहली प्रति–चेक पोस्ट पर रखने के लिए और (iii) दूसरी प्रति ट्रांसपोर्टर/अन्तिम उपभोक्ता के लिए। केवल एमएम–11 प्रपत्र की उपभोक्ता की प्रति (दूसरी प्रति) ही परिवहन के लिए वैध है और इसे भुगतान की गई रायल्टी के प्रमाण के रूप में माना जाएगा। पट्टाधारक द्वारा ट्रान्जिट पास जारी करते समय ट्रान्जिट पास की तीनों प्रतियों में समस्त जानकारी भरना अनिवार्य है। अपने आदेश[57] में सरकार ने स्पष्ट किया कि यदि ठेकेदार वैध ट्रान्जिट पास के रूप में रायल्टी रसीद प्रस्तुत नहीं करता है तो कार्यदायी संस्था रायल्टी और खनिज मूल्य की वसूली के लिए उत्तरदायी है। उपयोग किए गए खनिजों के विरुद्ध ठेकेदारों द्वारा प्रस्तुत किए गए एमएम–11 प्रपत्रों को सम्बन्धित जि0खा0अ0 से सत्यापित कराया जा सकता है। मुद्रित एमएम–11 प्रपत्र के स्थान पर 1 अगस्त 2017 से 17 अंकों के सीरियल नम्बर वाले इलेक्ट्रॉनिक एमएम–11 (ई–एमएम–11) प्रपत्र लागू किए गए थे।

उत्तर प्रदेश खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली, 2002 के नियम 5(2) में उपबंधित है कि खनिजों के भण्डारण के लिए लाइसेंस धारक भण्डार से खनिजों के वैध परिवहन के लिए प्रपत्र सी में ट्रान्जिट पास जारी करेगा।

इसके अलावा, वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड–VI के नियम 77 के अनुसार, आहरण और संवितरण अधिकारी (डीडीओ) नकदी और भण्डार, प्राप्ति और व्यय के मूल अभिलेख के सभी मामलों में यथार्थता के लिए उत्तरदायी हैं।

इस प्रकार, ठेकेदारों के बिल पारित करते समय, डीडीओ से प्रस्तुत दस्तावेजों की वास्तविकता को सत्यापित करने की अपेक्षा की जाती है। 41 कार्यदायी संस्थाओं के 2,544 एमएम–11 प्रपत्रों की नमूना जाँच में लेखापरीक्षा द्वारा देखी गई अनियमितताओं का विवरण नीचे दिया गया है:

3.10.2.1 भुगतान की गई रायल्टी के साक्ष्य के रूप में एमएम–11 प्रपत्र की नकली/छायाप्रति/कार्यालय प्रति/चेक पोस्ट प्रति प्रस्तुत करना

लेखापरीक्षा ने कार्यदायी संस्थाओं/विभागों के अभिलेखों[58] की नमूना जाँच की और भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश सरकार की वेबसाइट से प्रति सत्यापन किया और देखा कि:

- 167 मामलों में, ठेकेदारों द्वारा एक ही प्रपत्र का कई बार उपयोग किया गया।

लेखापरीक्षा ने तीन जिलों[59] की चार कार्यदायी संस्थाओं में देखा कि रायल्टी का भुगतान किये गये खनिज के उपयोग के प्रमाण के रूप में ठेकेदारों द्वारा एक ई–एमएम–11 प्रपत्र का कई बार[60] उपयोग किया गया था। इसे प्रथम प्रस्तुति में ही वैध होना चाहिए लेकिन कार्यदायी संस्थाओं ने इसे कई बार स्वीकार किया। उसी ई–एमएम–11 प्रपत्र को दोबारा और आगे जमा करने पर ठेकेदारों पर रायल्टी, खनिज मूल्य और शास्ति आरोपणीय था। एक ही ई–एमएम–11 प्रपत्र को अनेकों बार प्रस्तुत करने को चिन्हित करने में कार्यदायी संस्थाओं की विफलता के परिणामस्वरूप सरकार को ₹ 1.72 लाख की रायल्टी, ₹ 8.60 लाख के खनिज मूल्य और ₹ 25 लाख की शास्ति सहित ₹ 35.32 लाख के राजस्व की वसूली नहीं हुई, जैसा कि **परिशिष्ट–XVIII** में दर्शाया गया है।

---

[57] 15 अक्टूबर 2015 एवं 15 जुलाई 2019।

[58] एमएम–11 प्रपत्र, वाउचर, रनिंग बिल और ठेकेदार के अन्तिम बिल।

[59] फ़तेहपुर, कौशाम्बी और सिद्धार्थनगर।

[60] दो से नौ बार।

• 245 मामलों में, एमएम–11 प्रपत्र की या तो कार्यालय प्रति या चेक पोस्ट प्रति का उपयोग किया गया था।

लेखापरीक्षा ने छह जिलों[61] की नौ कार्यदायी संस्थाओं में देखा कि एमएम–11 प्रपत्रों की कार्यालय प्रति/चेक पोस्ट प्रति जमा करने के कारण ठेकेदारों पर रायल्टी, खनिज मूल्य और शास्ति आरोपणीय था। ठेकेदारों द्वारा एमएम–11 प्रपत्रों की गलत प्रति प्रस्तुत करने का पता लगाने में कार्यदायी संस्थाओं की विफलता के परिणामस्वरूप सरकार को ₹ 5.06 लाख की रायल्टी, ₹ 25.30 लाख के खनिज मूल्य और ₹ 61.25 लाख की शास्ति सहित ₹ 91.61 लाख के राजस्व की वसूली नहीं हुई, जैसा कि **परिशिष्ट–XIX** में दर्शाया गया है।

उपरोक्त मामलों में से कुछ उदाहरणात्मक मामले, जहाँ नकली एमएम–11 प्रपत्र और एमएम–11 प्रपत्र की छायाप्रति ठेकेदारों द्वारा खनिजों के लिए रायल्टी के भुगतान के प्रमाण के रूप में कार्यदायी संस्थाओं को प्रस्तुत किया गया था, **तालिका–3.1** में दिए गए हैं और आगामी प्रस्तरों में चर्चा की गई है।

तालिका 3.1

नकली एमएम–11 प्रपत्र और एमएम–11 प्रपत्र की छायाप्रति का विवरण

क्र. सं.	एमएम–11 प्रपत्र संख्या.	अनुबन्ध का विवरण जिसमें एमएम–11 प्रपत्र संलग्न किया गया था		ई–एमएम 11 में पट्टाधारक का नाम प्रस्तुत किया गया	जारी करने का दिनांक	उल्लिखित मात्रा (घन मीटर में)	एक ही ई–एमएम 11 प्रपत्र प्रस्तुत करने की संख्या
		अनुबन्ध क्रमांक/वाउचर क्रमांक	दिनाँक				
1	31451803026508781	131/एसई - 736सी बस्ती वृत वार्ड न0.69/ 30.03.2022	27.10.2020	मैसर्स बजरंग स्टोन्स	17.11.2020	30	चार बार
2	31451903027609002			लालता प्रसाद	18.02.2021	18	दो बार
					22.02.2021	18	दो बार
					02.03.2021	18	दो बार
3	31451903027609120				22.02.2021	20	दो बार
					02.03.2021	20	एके बार
4	31451803025543411			महेश कुमार अग्रवाल	16.02.2021	18	दो बार
5	31451803025802299			राजेन्द्र प्रसाद साहू	27.12.2020	14	एक बार
				राजेन्द्र प्रसाद साहू	26.12.2020	14	पाँच बार
				राजेन्द्र प्रसाद साहू	24.12.2020	14	एक बार
				सीताराम अग्रवाल	30.01.2021	18	दो बार
6	31451903027607989			लालता प्रसाद	30.01.2021	18	दो बार

स्रोतः लेखापरीक्षा निष्कर्षों के आधार पर सूचना

• प्रति सत्यापित करते समय लेखापरीक्षा ने देखा कि ई–एमएम–11 संख्या 31451803026508781, 31451903027609002, 31451903027609120 और 31451803025543411 के विवरण विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध नहीं थे क्योंकि पोर्टल अभिलेख नहीं मिला दिखा रहा था। इसके अलावा, ठेकेदारों द्वारा जमा किए गए एमएम–11 फार्म संख्या 31451903027609002 और 31451903027609120 के मामले में एक ही संख्या का प्रपत्र जारी करने की अलग–अलग तिथियों का उल्लेख किया गया था जिसमें स्पष्ट रूप से ठेकेदारों द्वारा हेरफेर और नकली प्रपत्र जमा करने का स्पष्ट संकेत दिया गया।

• यह पाया गया कि मूल ई–एमएम–11 प्रपत्र संख्या 31451803025802299 दिनाँक 08.09.2019 को पट्टाधारक श्री अहमद कमाल खान द्वारा जिला महराजगंज के लिए जारी किया गया था और ठेकेदार ने पट्टाधारक के नाम और जारी करने के दिनांक

[61] बांदा, फतेहपुर, हमीरपुर, कौशाम्बी, प्रयागराज और सिद्धार्थनगर।

में हेरफेर करने के बाद कई बार इस ई–एमएम–11 प्रपत्र को जमा किया था। नकली एमएम–11 प्रपत्र जमा किये जाने का कार्यदायी संस्थाओं द्वारा पता नहीं लगाया जा सका।

• एक अन्य मामले में पाया गया कि ई–एमएम–11 प्रपत्र संख्या 31451903027607989 मूल रूप से पट्टाधारक श्री लालता प्रसाद द्वारा 03.07.2020 को 14 घन मीटर मात्रा के लिए जारी किया गया था और ठेकेदार ने 30.01.2021 को जारी 18 घन मीटर की मात्रा के लिए इसे जमा किया था। नकली एमएम–11 प्रपत्र जमा करना कार्यदायी संस्थाओं द्वारा पता नहीं लगाया जा सका।

इस प्रकार, ठेकेदारों ने एक ही एमएम 11 प्रपत्र कई बार जमा किए, एमएम–11 प्रपत्र की कार्यालय प्रति/चेक पोस्ट प्रति जमा की और नकली एमएम–11 प्रपत्र भी जमा किए। कार्यदायी संस्थाएं ठेकेदारों को भुगतान जारी करते समय इसका पता लगाने में विफल रहीं। एमएम–11 प्रपत्र प्रामाणिक नहीं होने के कारण कार्यों में प्रयुक्त खनिज को अवैध खनन से प्राप्त माना जाना चाहिए था। कार्यदायी संस्थाओं ने सम्बन्धित जि0खा0अ0 से प्रस्तुत एमएम–11 प्रपत्र की वास्तविकता का सत्यापन नहीं कराया। इस प्रकार कार्यदायी संस्थाओं के साथ–साथ संबंधित जि0खा0अ0 ठेकेदारों द्वारा कार्यदायी संस्थाओं को प्रस्तुत ट्रान्जिट पास की शुद्धता सुनिश्चित करने में विफल रहे।

3.10.2.2 प्रस्तुत किए गए एमएम–11 प्रपत्र अन्य गंतव्यों के लिए निर्गत किए गए

लेखापरीक्षा ने 18 जनपदों की 41 कार्यदायी संस्थाओं में प्रस्तुत 2,544 एमएम–11 प्रपत्र की नमूना जांच किया और 10 जिलों[62] की 19 कार्यदायी संस्थाओं में देखा कि ठेकेदारों द्वारा जमा किए गए 941 एमएम–11 प्रपत्र अन्य गंतव्यों के लिए जारी किए गए थे। चूँकि एमएम–11 प्रपत्र अन्य गंतव्यों के लिए जारी किए गए थे, इसलिए ठेकेदारों पर रायल्टी, खनिज मूल्य और शास्ति आरोपणीय थी। इसके परिणामस्वरूप सरकार को ₹ 19.82 लाख की रायल्टी, ₹ 99.10 लाख के खनिज मूल्य और ₹ 2.35 करोड़ की शास्ति सहित ₹ 3.54 करोड़ के राजस्व की वसूली नहीं हुई, जैसा कि **परिशिष्ट–XX** में दर्शाया गया है।

3.10.2.3 प्रस्तुत किये गये एमएम–11 प्रपत्र की तिथियाँ कार्य देने से पहले की थीं

लेखापरीक्षा ने 18 जनपदों की 41 कार्यदायी संस्थाओं में प्रस्तुत 2,544 एमएम–11 प्रपत्र की नमूना जाँच किया और पाँच जिलों[63] की नौ कार्यदायी संस्थाओं में देखा कि ठेकेदारों द्वारा जमा किए गए 284 एमएम–11 प्रपत्र काम देने से पहले[64] के थे। चूँकि, एमएम–11 प्रपत्र काम देने से पहले जारी किए गये थे, इसलिए इन्हे स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए था एवं ठेकेदारों पर रायल्टी, खनिज मूल्य और शास्ति आरोपणीय था। इसके परिणामस्वरूप सरकार को ₹ 4.50 लाख की रायल्टी, ₹ 22.49 लाख के खनिज मूल्य और ₹ 71 लाख की शास्ति सहित ₹ 97.99 लाख के राजस्व की वसूली नहीं हुई, जैसा कि **परिशिष्ट–XXI** में दर्शाया गया है।

3.10.2.4 प्रस्तुत किए गए एमएम–11 प्रपत्रों को निर्गत करने की तिथियाँ कार्य पूर्ण होने की तिथियों के बाद की थीं

लेखापरीक्षा ने 18 जनपदों की 41 कार्यदायी संस्थाओं में प्रस्तुत 2,544 एमएम–11 प्रपत्र की नमूना जाँच किया और तीन जिलों[65] की चार कार्यदायी संस्थाओं में देखा कि ठेकेदारों

---

[62] बागपत, बांदा, बुलन्दशहर, फ़तेहपुर, हमीरपुर, जे.पी. नगर, कानपुर देहात, कौशाम्बी, मुज़फ़्फ़र नगर और सिद्धार्थनगर।

[63] बागपत, जे.पी. नगर, कौशाम्बी, प्रयागराज और सिद्धार्थनगर।

[64] काम शुरू होने से दो से 1,304 दिन पहले।

[65] कौशाम्बी, प्रयागराज और सिद्धार्थनगर।

द्वारा जमा किए गए 27 एमएम–11 प्रपत्र कार्य पूरा होने की तिथियों के बाद[66] जारी किए गए थे। चूँकि, कार्य पूरा होने के बाद एमएम–11 प्रपत्र जारी किए गये थे, इसलिए ठेकेदारों पर रायल्टी, खनिज मूल्य और शास्ति आरोपणीय थी। इसके परिणामस्वरूप सरकार को ₹ 0.63 लाख की रायल्टी, ₹ 3.15 लाख की खनिज मूल्य और ₹ 6.75 लाख की शास्ति सहित ₹ 10.53 लाख के राजस्व की वसूली नहीं हुई, जैसा कि **परिशिष्ट–XXII** में दर्शाया गया है।

ठेकेदारों द्वारा नकली/अनियमित ट्रान्जिट पास प्रस्तुत करने में कार्यदायी संस्थाओं द्वारा किए जाने वाले कार्यों में अवैध रूप से खनन किए गए खनिजों के उपयोग का जोखिम शामिल था।

समापन गोष्ठी में शासन ने इन विसंगतियों पर गौर करने का आश्वासन दिया और कहा कि इन विसंगतियों से बचने के लिए अब ट्रान्जिट पास में सुरक्षा उपाय अपनाए जा रहे हैं और सभी राज्यों के खनन पोर्टलों को एकीकृत करने का प्रयास किया जा रहा है ताकि ऐसे मामलों की पहचान की जा सके।

संस्तुतिः

3. सरकार भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग और सिविल कार्य करने वाली सरकारी कार्यदायी संस्थाओं के मध्य समन्वय को मजबूत कर सकती है ताकि यह पता लगाया जा सके कि ठेकेदारों ने वैध लाइसेंसधारियों से खनिज प्राप्त किये हैं और कार्यदायी संस्थाओं को वैध ट्रान्जिट पास प्रस्तुत किये हैं।

4. सरकार ट्रान्जिट पासों की अनियमितता की विस्तार से जाँच कर सकती है और यदि कोई गंभीर चूक पाई जाए तो जिम्मेदारी तय करनी चाहिये और उचित कार्यवाही करनी चाहिये।

3.11 निष्कर्ष

विभाग को अपना बकाया वसूलने के लिए अपनी प्रणाली में सुधार करने की आवश्यकता है क्योंकि ऐसे दृष्टांत सामने आए हैं जहां पट्टाधारकों/ईंट भट्ठा मालिकों से रायल्टी/जि०ख०फा०ट्र० में योगदान/विनियमन शुल्क/पालोथन/ब्याज आदि वसूल नहीं किए गए। उप खनिजों से प्राप्तियों का लेखांकन भी निर्धारित नियमों के अनुरूप नहीं था। डीजीएम ने मुख्य और उप खनिजों से प्राप्तियों के अलग–अलग लेखांकन के लिए जि0खा0अ0 को कोई निर्देश जारी नहीं किया। विभाग ने खनन योजनाओं को देर से प्रस्तुत करने के लिए शास्ति की राशि आरोपित नहीं की और संशोधित खनन योजना के बिना खनिजों का उत्खनन करने वाले पट्टाधारकों से खनिज मूल्य और शास्ति वसूलने में विफल रहा।

विभाग को ठेकेदारों द्वारा कार्यदायी संस्थाओं को प्रस्तुत किए गए ट्रान्जिट पास की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रणाली को मजबूत करना चाहिए क्योंकि ऐसे दृष्टांत सामने आए हैं जहां ठेकेदारों ने ट्रांजिट पास प्रस्तुत किए जो नकली/कार्यालय प्रति/चेक पोस्ट प्रति थे या कई बार इस्तेमाल किए गए थे या अन्य गंतव्यों के लिए जारी किए गए थे। कुछ मामलों में, एमएम–11 प्रपत्र जारी करने का दिनाँक कार्य दिए जाने से पहले या कार्य पूरा होने के बाद के थे। ठेकेदारों को भुगतान जारी करते समय कार्यदायी संस्थाएं इन विसंगतियों का पता नहीं लगा सकीं।

[66] काम पूरा होने के 18 से 157 दिन बाद।